13 06/24 न तो वकील वादिनी उपस्थित। न ही वादिनी उपस्थित। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण ही पेश हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गई। अतः यह वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। ~~निर्णय~~ पत्रावली निर्णय के अनुसार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।